Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to ease the process for issuance of birth-death certificate and copy of 'Parivar register' in Uttarakhand-laid.

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान उत्तराखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण जनता परेशान है । पंचायतीराज की नई व्यवस्था से पूर्व गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा अपने अपने ग्राम

सभाओं की जनता को परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिये जाते थे, जिससे बड़ी ही सरलता एवं सुगमता से ग्रामीणों को यह सुविधा मिलती थी लेकिन ईडिस्ट्रिक प्रणाली लागू होने से यह व्यवस्था ग्राम प्रधानों से हटाकर विकासखण्डों को दे दी गई है, जिसके बिना जनता को इसे लेने के लिए विकासखण्डों में आना पड़ रहा है लेकिन विकास खण्ड स्तर पर परिवार रजिस्टर की नकल आवेदकों को सरलता से प्राप्त नहीं हो रही है ।

दूर-दराज गांवों से ग्रामीण 15 से 20 कि.मी. दूरी तय कर जब विकास खण्ड में आता है तो संबंधित कर्मचारी नेटवर्क नहीं होने का हवाला देकर ग्रामीणों को वापस भेज देते हैं जिसके कारण उनका समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है और संबंधित दस्तावेज कब प्राप्त होगा इसका भी कोई आश्वासन संबंधित अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता हैं । इस कारण एक छोटे से दस्तावेज के लिए जनता को बहुत अधिक परेशान होना पड़ रहा है । क्या सरकार इस व्यवस्था को पूर्व की भांति ग्राम सभाओं को देने के लिए कोई योजना एवं कार्यनीति बना रही है, साथ ही आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह आग्रह एवं सुझाव है कि ईडिस्ट्रिक प्रणाली को ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधानों के कार्यालय

में सुचारू किया जाए । जिससे कि ग्रामीण जनता को अपने ही गांव/ग्राम सभा में अपने सारे दस्तावेज प्राप्त हो जाए ।